

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग
पत्रांक :- तक०(अना०)-02-190-25- 2207

प्रेषक,

ई० ब्रजेश मोहन
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण सासाराम,
अंचल सासाराम।

पटना, दिनांक : 16/09/26

विषय : माननीय मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा के क्रम में कैमूर जिला अन्तर्गत घोषित अधौरा बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना हेतु Intake Point हेतु चिन्हित स्थल जिला-रोहतास, प्रखण्ड-नौहट्टा, पंचायत-यदुनाथपुर के ग्राम-जारोदागा (Latitude-24.532887°, Longitude-83.537458°) में अवस्थित सोन नदी के बायाँ तट से जल प्राप्ति हेतु पूर्व में निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र में जल प्राप्ति की मात्रा 3.35 MLD को बढ़ाकर 8.20 MLD करने के संबंध में।

प्रसंग : विभागीय पत्रांक 1593 दिनांक 16.07.2025 एवं आपका पत्रांक-230 दिनांक-16.03.2026 एवं

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र के आलोक में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा प्रस्तावित अधौरा बहुग्रामीण जलापूर्ति योजना हेतु चिन्हित विषयांकित स्थल पर सोन नदी के बायाँ तट से जल प्राप्ति हेतु पूर्व में विभागीय पत्रांक 1593 दिनांक 16.07.2025 से निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र में जलापूर्ति की मात्रा 3.35 MLD को बढ़ाकर 8.20 MLD करने निमित्त निम्नलिखित शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है :-

- (i) प्रस्तावित योजना हेतु जनवरी से जून माह तक सोन नदी से पानी लेने की अनुमति नहीं होगी। इस अवधि (जनवरी से जून तक) में जल की आवश्यकता को पूरी करने के लिए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को अपने व्यय पर मानसून अवधि (जुलाई से अक्टूबर) में पर्याप्त जल संचयन करने की उचित व्यवस्था करनी होगी।
- (ii) जलापूर्ति प्राप्त करने हेतु सभी आवश्यक व्यवस्था एवं इससे संबंधित संरचना का निर्माण, सम्पोषण एवं रख-रखाव आदि की व्यवस्था लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण द्वारा किया जाएगा।
- (iii) उक्त निर्माण कार्य से विभागीय स्वामित्व प्रभावित नहीं होगा।
- (iv) उक्त निर्माण कार्य के कारण बाढ़ के पूर्व या बाढ़ के दौरान तटबंध/नदी किनारा को किसी प्रकार की क्षति होती है तो क्षतिग्रस्त तटबंध/नदी किनारा की मरम्मत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा उनके व्यय पर करायी जाएगी एवं इसका अनुश्रवण जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय विभागीय पदाधिकारियों द्वारा किया जायेगा।
- (v) नदी के Morphology में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

/

- (vi) सोन नदी से जलापूर्ति संबंधी योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व प्रशासी विभाग (PHED) द्वारा अन्य विभागों/प्राधिकारों से भी नियमानुसार आवश्यक अनापत्ति प्राप्त करना होगा।
- (vii) नदी में जल की उपलब्धता में कमी होने की स्थिति में पर्याप्त जलापूर्ति के लिए विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
- (viii) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा जल उपयोग के क्रम में संरचना निर्माण करने की स्थिति में विभागीय परिपत्र संख्या-PMC-5/विविध/9-28/2004-पार्ट-1-485 दिनांक-29.08.2024 के आलोक में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- (ix) उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन नहीं करने पर निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र को रद्द कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन


(ब्रजेश मोहन) 29/8/24

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक : तक०(अना०)-02-190-25- 2207

पटना, दिनांक : 16/09/26

प्रतिलिपि : मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, जल संसाधन विभाग, पटना/मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग पटना/मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग डिहरी/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-3/4, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(ब्रजेश मोहन) 29/8/24

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक : तक०(अना०)-02-190-25- 2207

पटना, दिनांक : 16/09/26

प्रतिलिपि : सचिव महोदय के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


(ब्रजेश मोहन) 29/8/24

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांक : मो०-03-कार्य-डी०-03/25- 2237

पटना, दिनांक : 22/09/26

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, आई० टी०, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


22/9/26

अधीक्षण अभियंता

for यो० एवं मो० अंचल-3, पटना।